कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF) राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ 1( ) 2022—23 / ऑडिट समिति / प्रमुवसं / 3610 दिनांक : 30.09.2022

बैठक कार्यवाही विवरण

वन विभाग की ऑडिट समिति वर्ष 2022—23 की द्वितीय बैठक दिनांक 28.09.2022 को सायः 5.00 बजे अरण्य भवन, कॉन्फ्रेन्स हॉल, कक्ष संख्या A—115 प्रथम तल में श्री शिखर अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव, महोदय वन विभाग की अध्यक्षता में विडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ठ 'अ'** पर संलग्न है।

सर्वप्रथम डॉ. देवराज, वित्तीय सलाहकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय, वित्त विभाग, निरीक्षण विभाग एवं वन विभाग के उपस्थित अधिकारियों तथा विडियो कान्फ्रेसिंग से ऑनलाईन जुडे हुए अधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात् अध्यक्ष महोदय की अनुमति से गत बैठक की क्रियान्विति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उपरान्त एजेण्डा बिन्दुओं का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। बिन्दुवार समीक्षा उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये :—

1. जन लेखा समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति रिपोर्ट

जन लेखा समिति वर्ष 2021—22 के 106वें प्रतिवेदन की सिफारिशों की संवीक्षा टिप्पणी अनुसार बकाया अनुपालना के सम्बंध में प्रमुख शासन सचिव, के द्वारा **में दिनांक 06.10.2022 या 07.10.2022** को बैठक का आयोजित कराने हेतु निर्देश दिये गये।

2. ड्रॉफ्ट पैरा

''राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों एवं बाघ रिजर्व के प्रबंधन विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा'' शीर्षक के अन्तर्गत ड्रॉफ्ट पैरा की समीक्षा हेतु समापन बैठक **महालेखाकार कार्यालय में दिनांक 30.09.2022 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की जावेगी। प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को इसकी अनुपालना तैयार कराने हेतु निर्देश दिये गये।**

3. महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की बकाया प्रथम अनुपालना

प्रमुख शासन सचिव, महोदय द्वारा महालेखाकार के निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्रथम अनुपालना निर्धारित समय पर महालेखाकार को प्रेषित करने हेतु सभी अधिकारियों को निर्देशित किया।

4. महालेखाकार के बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन

प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने संभाग कार्यालयों में महालेखाकार के बकाया आक्षेपों के निस्तारण कैम्प में हुई प्रगति के संबंध में भी संतोष व्यक्त किया एवं बकाया स्थानों पर भी समय—समय पर कैम्प लगाकर अधिकाधिक आक्षेपों का निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

5. <u>चोरी, हानि एवं गबन</u>

चोरी, हानि एवं गबन प्रकरणों की समीक्षा के दौरान वित्तीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की बजह से निस्तारण की कार्यवाही नही हो रही है। संबंधित कार्यालय के नियंत्रण अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटरिंग कर के बकाया प्रकरणों का अतिशीघ्र निस्तारण करने के लिए निर्देशित किया गया।

6. <u>निदेशक निरीक्षण विभाग आंतरिक जांच</u>

निदेशक, निरीक्षक विभाग के आंतरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेद के सम्बंध में प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने असंतोष व्यक्त किया गया तथा निरीक्षण विभाग का कैम्प लगाकर अधिकाधिक आक्षेपों का निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

7. <u>निदेशक निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन</u>

निरीक्षण विभाग के भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों के बकाया अनुच्छेद के सम्बंध में प्रमुख शासन सचिव, महोदय ने निरीक्षण विभाग का कैम्प लगाकर अधिकाधिक आक्षेपों का निस्तारण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

8. <u>निदेशक निरीक्षक विभाग, विशेष जांच</u>

प्रमुख शासन सचिव ने 15 विशेष जांच प्रतिवेदनों के काफी लम्बे समय से बकाया होने पर विशेष कैम्प का आयोजन कर बकाया प्रतिवेदनों की शीघ्र पालना करवा कर निस्तारण की कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किया।

9. <u>ओ.बी. आईटम्स</u>

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग द्वारा निर्देशित किया गया कि सबसे अधिक ओ.बी.आईटम/राशि के सम्बन्धित प्रकरणों पर विशेष ध्यान देते हुये परीक्षण कर बकाया ओ.बी. आईटम निस्तारण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर निस्तारण हेतु कहा। तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) ने भी वर्ष 2011 से 2014 तक के सर्वाधिक पुराने ओ.बी.आईटम्स कार्यालय उप वन संरक्षक, जोधपुर/जयपुर (उत्तर)/प्रशिक्षण जयपुर/भरतपुर/विभागीय कार्य मण्डल जयपुर को ओ.बी. आईटम्स के शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही हेतु निर्देशित किया।

10. वन अग्रिम

प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग के राजस्थान स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लि0 के नाम से बकाया वन अग्रिम राशि के अपलेखन हेतु प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया।

प्रमुख शासन सचिव द्वारा विडियो कॉन्फ्रेन्स के माध्यम से उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि ऑडिट सम्बन्धी समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्वयं के स्तर पर समीक्षा कर इनके निस्तारण हेतु ठोस कार्यवाही करावें।

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई

(डॉ. डी.एन.पाण्डेय)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(वन बल प्रमुख)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1( ) 2022–23 / ऑडिट समिति / प्रमुवसं / 3611-730 दिनांक : 30.09.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितहै :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HOFF), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार आर्थिक एवं राजस्व लेखा राजस्थान, जयपुर।
4. शासन सचिव, वन राजस्थान जयपुर।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एवं नॉडल अधिकारी, (ऑडिट समिति), जयपुर।
8. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, निरीक्षण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (M&E) / FCA / NTFP / वन सुरक्षा / कैम्पा जयपुर।
13. निजी सचिव, वित्तीय सलाहकार, वन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. मुख्य वन संरक्षक, कोटा / जयपुर / विभागीय कार्य, जयपुर / FPRP(बनास) / RFBP/ उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / सदस्य सचिव, बायोडाईवर्सिटी बोर्ड, जयपुर / मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जयपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, कोटा / वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर / आर.वी.पी. कोटा / बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाई माधोपुर / उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
15. समस्त उप वन संरक्षक।
16. कम्प्यूटर शाखा को प्रेषित कर विभागीय ई–मेल पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है। Web Site
17. वरिष्ठ लेखाधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
18. लेखाधिकारी, लेखा शाखा कार्यालय हाजा।
19. सहायक लेखाधिकारी लेखा शाखा कार्यालय हाजा।

वित्तीय सलाहकार
वन विभाग
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ठ 'अ'

विभागीय ऑडिट समिति की द्वितीय बैठक (वर्ष 2022–23) दिनांक 28.09.2022 सायः 5.00 बजे अरण्य भवन राजस्थान जयपुर में उपस्थित अधिकारीगण

1. डॉ. दीप नारायण पाण्डेय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान जयपुर।
2. श्री वैंकटेश शर्मा, शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्री संजीव कुमार सुराणा, उप महालेखाकार ऑडिट –II राज. जयपुर।
4. श्री अरिन्दम तोमर, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रति. राज. जयपुर।
5. श्री अरिजीत बनर्जी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन), राजस्थान जयपुर।
6. श्री के.सी.ए. अरूण प्रसाद, अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), राजस्थान जयपुर।
7. डॉ. देवराज, वित्तीय सलाहकार वन विभाग राज. जयपुर।
8. श्री पी. केथिरवेल, मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव जयपुर।
9. श्री कपिल चन्द्रवाल, उप वन संरक्षक, वन्यजीव चिडियाघर, जयपुर।
10. श्री पीयूष कुमार शर्मा, उप वन संरक्षक, कार्यआयोजना वन बन्दोबस्त जयपुर।
11. श्री मोती लाल मीना, सहायक लेखाधिकारी महालेखाकार ऑडिट–II राज. जयपुर।
12. डॉ. वीरेन्द्र सिंह, वरिष्ठ लेखाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
13. श्री हीरालाल मीना, लेखाधिकारी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर।
14. श्री सुनील कुमार जैन, वरिष्ठ लेखाधिकारी, निरीक्षण विभाग राज. जयपुर।
15. श्री हेमशंकर कुमावत, सहायक लेखाधिकारी–I वित्त (अंकेक्षण) विभाग।
16. श्री पी.सी. कल्याणियां, वरिष्ठ लेखाधिकारी ए.जी. ऑफिस, राजस्थान जयपुर।

अन्य अधिकारीगण जिनसे विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से चर्चा की गई।

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बंदोबस्त राज. जयपुर।
2. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, NTFP / FCA / M&E / वन सुरक्षा / कैम्पा जयपुर।
3. मुख्य वन संरक्षक, कोटा / विभागीय कार्य, जयपुर / FPRP(बनास) / उदयपुर / जोधपुर / बीकानेर / अजमेर / भरतपुर / वन्यजीव, जोधपुर / वन्यजीव, उदयपुर / वन्यजीव, कोटा / वन्यजीव, (सरिस्का), अलवर / आर.वी.पी. कोटा / बाघ परियोजना, रणथम्भौर सवाईमाधोपुर / मुख्य वन संरक्षक (आयोजना) / उप वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक, प्रमुवसं, राज. जयपुर।
4. समस्त उप वन संरक्षक।